

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 26, शुक्रवार, शाके 1947- जनवरी 16, 2026 Pausa 26, Friday, Saka 1947- January 16, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 12, 2025

(जविप्रा अधिनियम की धारा 25(4) देखें)

संख्या जविप्रा/उपा-7/2025/डी-2465 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित गुलाब बाड़ी गृ.नि.स.स.लि. की योजना गुरु जम्बेश्वर नगर-ए के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 196 एवं 198 क्षेत्रफल 861.83 व.ग. जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार मिश्रित (30 मीटर गहराई तक) तत्पश्चात् आवासीय दर्शाया गया है, का आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने बाबत् अधिसूचना दिनांक 18.07.2025 द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में भू- उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित गुलाब बाड़ी गृ.नि.स.स.लि. की योजना गुरु जम्बेश्वर नगर-ए के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 196 एवं 198 क्षेत्रफल 861.83 व0ग0 में से सड़क मार्गाधिकार हेतु 10 फीट गहराई तक की भूमि क्षेत्रफल 48.82 व0ग0 निःशुल्क समर्पण पश्चात् शेष भूमि 813.01 व0ग0 जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार मिश्रित (30 मीटर गहराई तक) तत्पश्चात् आवासीय दर्शाया गया है का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर प्लान-2025 के अनुसार मिश्रित (674.12 वर्ग गज क्षेत्रफल मिश्रित एवं 138.89 वर्ग गज क्षेत्रफल आवासीय) प्रयोजनार्थ किया जाता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 12-12-2025 को जारी की गई।

निशान्त जैन,

सचिव।